

जीजेसी/ईआरओ/2015-2016/1177

दिनांक : 28मार्च 2016

सेवा में,

महोदय,

पूर्वी क्षेत्र स्थित सभी एसोसिएट सदस्य/साधारण सदस्य,

विषय: - वितीय वर्ष 2016-2017 के सदस्यता के नवीनीकरण के लिए।

आपको सूचित किया जाता है कि परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार वित वर्ष 2016-17 हेतु सदस्यता का नवीनीकरण दिनांक 30 अप्रैल, 2016 अथवा उससे पूर्व किया जाना अपेक्षित है।

गत वर्ष की भांति परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org के माध्यम से सदस्यों द्वारा वर्ष 2016-17 की सदस्यता नवीनीकरण के आवेदन को ऑन लाइन भरना अपेक्षित है ।

वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क वित्त वर्ष 2015-16 के निर्यात के आधार पर देय है । 1 अप्रैल 2016 से लागू शुल्क तथा सदस्यों हेतु दिशा निर्देश क्रमशः परिशिष्ट-1 तथा 2 मे इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया गत् वर्ष की तरह ही है, देय शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट वैंक में किया जा सकता है। जो कि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। परिषद वर्तमान के सदस्य www.gjepc.org पर जाकर अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा सदस्यता पृष्ठ में लॉग इन कर सकते है।

देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी रखने हेतु चालान पर उल्लेखित तारीख के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि जमा होने की तारीख को ही भुगतान की तिथि माना जायेगा ।

सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि माह जनवरी 2015 से सदस्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिन्ट करने की सुविधा लागू कर दी गई है । एक बार सदस्यता जारी होने हाने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित सदस्यता प्रमाण पत्र परिषद की वेजसाईट www.giepc.org पर उपलब्ध होगा एवं इस वेबसाईट पर लॉग इन करके सदस्यता प्रमाण पत्र का प्रिन्ट लिया जा सकता है ।

contd.. Page..2

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धनं परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council CIN: U99100MH1966GAP01348

**क्षेत्रीय कार्यालय** :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 o16. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी भाग लेने के साथ केपी शुल्क में रियायत इत्यादि का बिना किसी रूकावट के सतत लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2016 अथवा उससे पूर्व अवश्य करवा लें ।

भुगतान चालान में पूर्ववर्ती वर्ष किए गए निर्यात घोषणा मदवार डेटा अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

किसी भी जानकारी या संसय के समाधान के लिए आप सदस्यता विभाग के फोन नं. 033-22823630/3629 **या ई-मेल** salim@gjepcindia.com **द्वारा** संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद,

भानानु शक्त

[शांतनु राजगुरू] निदेशक-पूर्वी क्षेत्र संलग्न: उपरोक्त

> रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion CouncilCIN: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)
Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India)
फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



#### परिशिष्ट-1

# वित वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क

1-सदस्यता शुल्क :- वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतः घोषणा के साथ वर्ष 2015-16 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

- 2. देय सेवा कर: जो भी लागू हो।
- 3. वर्ष 2016-17 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण रादस्यता के नवीनीकरण हेतु आपके द्वारा निम्नलिखित राशि देय है:

वर्ष 2015 -16 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता
	शुल्क
	₹.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000/-
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड़ रु. तक निर्यात	10,000/-
1 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. तक निर्यात	15,000/-
5 करोड़ रु. से अधिक और 15 करोड़ रु. तक निर्यात	30,000/-
15 करोड़ रु. से अधिक और 50 करोड़ रु. तक निर्यात	40,000/-
50 करोड़ रु. से अधिक और 100 करोड़ रु. तक निर्यात	65,000/-
100 करोड़ रु. से अधिक और 500 करोड़ रु. तक निर्यात	1,00,000/-
500 करोड़ रु. से अधिक और 100 करोड़ रु. तक निर्यात	1,50,000/-
1000 करोड रु. से अधिक निर्यात	2,00,000/-

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/ वर्तमान सदस्य द्वारा अन्तिम तिथि के पश्चात विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा अतिरिक्त कर देय होगा।

4-बकाया भुगतान : - यह भी नोट करें कि वर्ष 2016 -17 के सदस्यता का नवीनीकरण करते समय गत वर्ष मे परिषद के सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया को गंभीरता से लिया जाएगा , यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council UN: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 o16. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद को बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संदंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

5-कंपनी समूह : - सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। किसी भी शंका के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, जदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अत: यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

6-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :- सदस्यता के नवीकीकरण के अभाव में फर्म को परिषद संस्था के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और एरिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा :-

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार हेतु नागांकन.
- सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेत् अनुमतियाँ.

## सामान्य नियम एवं विनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद 1 और सदस्यता के नियम।

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

The Gem & Jewellery Export Promotion Council U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



3. सदस्यों की श्रेणियों, और सदस्यता के लिए पात्रता-

#### 3.1 सदस्य-

सदस्यों की संख्या जिसे परिषद प्रस्तावित करती है, 10000 है, परंतु हा सकता है, समय-समय पर प्रशासन की समिति परिषद की गतिविधियों के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तावित संख्या को बढ़ा सकते हैं | इस तरह के व्यक्ति जो परिषद की सदस्यता स्वीकार करते हैं परिषद के सदस्य कहलाये जायेंगे |

3-2 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ. परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य
- (ख) साधारण सदस्य

## 3.3- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

## 3.4- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

- (क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।
- (ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्जिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :
- (i) सूक्ष्म, लघु अथवा और मध्यम उद्योग
- (ii) 31 -य 25 लाख रु.
- 8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ
- 8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा गानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

## रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Councibly: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 o16. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



3. सदस्यों की श्रेणियों, और सदस्यता के लिए पात्रता-

#### 3.1 सदस्य-

सदस्यों की संख्या जिसे परिषद प्रस्तावित करती है, 10000 है, परंतु हा सकता है, समय-समय पर प्रशासन की समिति परिषद की गतिविधियों के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तावित संख्या को बढ़ा सकते हैं | इस तरह के व्यक्ति जो परिषद की सदस्यता स्वीकार करते हैं परिषद के सदस्य कहलाये जायेंगे |

3-2 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ. परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य
- (ख) साधारण सदस्य

## 3.3- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

## 3.4- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

- (क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।
- (ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :
- (i) सूक्ष्म , लघु अथवा और मध्यम उद्योग 10 लाख रु.
- (ii) अन्य 25 लाख रु.
- 8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ
- 8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा गानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Councibin: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



- (ख) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;
- (ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अर्नेतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो।
- (घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 184 या धारा 185 का उल्लंघन किया हो।
- (ङ) वह अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो।
- (च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो।
- (छ) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो।

## 8.2- समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा अनिश्वित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

- (क) यदि उसने सदरयता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- (ख) यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पडा हो, अथवा
- (ग) यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- (घ) यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- (ङ) यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो।

# 8.3-एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किती सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण रादस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.4 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

11- सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1-साधारण सदस्य

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

The Gem & Jewellery Export Promotion Council: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकातां - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिष्टित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात:

- (क) सिमिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सिभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।
- (ख) इन अंतर्नियमों में किए एए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (घ) निर्धारित शर्तो पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ङ) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं\* का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

## 11.2-एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नितिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात:

- (क) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ग) निर्धारित शर्तो पर ऐसी सभी सुविधाओं का अपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

# सुविधाएं, अर्थात

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी.

## रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Councibly: U99100MH1966GAP013486

**क्षेत्रीय कार्यालय** :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



- वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकन.
- सॉलियेटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेशी प्रदर्शनियों, निर्यात संवर्धन दौरा, विदेश में ब्रान्डेड आभूषण की प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के अनुमितयाँ।
- 13- विशेषाधिकार का स्थगन
- 13.1- अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

(क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और

(ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और समिति इस तरह के बकाया लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती है और उसके निलंबन को बहाल नहीं करती।

समास.

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Councit N: U99100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



परिशिष्ट-2

# नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वंय के हित में नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में परिषद से तत्काल संपर्क करें।

- चालान पर उल्लेखित बैंक में भुगतान प्राप्ति की रसीद की फोटो कॉपी परिषद मे जमा करें ।
- 2. कोलकाता शहर स्थित सभी सदस्यों को सदस्यता शुल्क का भुगतान निम्नितिखित बैंक की ब्रॉच में ही करें - कैनरा बैंक, पार्क स्ट्रीट ब्रॉच, 1/1, कमक स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता -700 071 ।
- 3. देय शुक्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी उखने हेतु चालान पर उल्लेखित तिथि के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि स्थानांतरित होने की तिथि को अगतान की तिथि माना जायेगा । यदि चैक बैंक द्वारा अनादिरत कर दिया जाता है तो उस स्थिति में सदस्यता को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा एवं बँक द्वारा लगाए गए चार्ज को सदस्य द्वारा वहन करना होगा ।
- 4. यदि किसी सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता हो तो वे देय सदस्यता शुल्क का भुगतान रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा चालान में उल्लेखित बैंक में करें। डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के पीछे अपनी फर्म का नाम और फोन नम्बर अनिवार्य रूप से लिखें।
- 5 वेबसाइट से चलान की तीन प्रतियों को मुद्रित किया जा सकता है, और उन्हें सदस्यता शुल्क के साथ उपरोक्त क्रम सं.2 में दिये गये विवरणानुसार केंजरा बैंक मे जमा करना है।
- 6. सदस्य सदस्यता शुल्क भुगतान के बाद चालान की कॉपी ई—मेल द्वारा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता को ई—मेल द्वारा भेज सकते है |कृप्या विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें ।
- 7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकार्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी रख लें ।
- 8. भुगतान चालान में किसी भी कॉलन को खाली छोड़े बिना, पूरा भरा जाना च!हिए ।

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

The Gem & Jewellery Export Promotion Council 1109100MH1966GAP013486

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/i, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 o16. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

- 9. निर्यात –आयात की घोषणा चालान में निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से दी जानी है तथा फर्म के मालिक/भागीदार/निदेशक जो कि लागू हो द्वारा हस्ताक्षर और फर्म की मुहर के साथ बैंक में जमा किया जाना चाहिए । चालान पर की गई घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध माना जाएगा और इस प्रकार प्राप्त सूचना को सरकारी प्राधिकारी अथवा उससे समान निकाय के आदेश के तहत प्रसारण हेतु विश्वस्नीय माना प्रशारित किया जाएगा । चालान पर किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य घोषणा के लिए सदस्य परिषद को किसी प्रकार के उत्तरदागित्व अथवा किसी भी तृतीय पक्ष दावे से मुक्त रखेगा । स्पष्टतया सदस्य परिषद को दी गई घोषणा अथवा निर्यात/आयात ऑकडों, जो कि गलत साबित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न किसी भी दावे या तृतीय पक्ष के दावे से स्पष्ट रूप से परिषद को सुरक्षित रखने के लिए सहमत होगा ।
- 10. सदस्यता शुल्क का भुगतान एफओबी मूल्य के आधार जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात दिनांक 01/04/2015 से 31-3-2016 तक यानी, दोनों दिन शामिल के मूल्य के रूप में परिशिष्ट-1 में दिखाया गया है, पर किया जान आवश्यक है।
- 11. सदस्य सदस्यता शुल्क भुगतान के बाद चालान की फोटो कॉपी ई-मेल, कुरियर, डाक एवं व्यक्तिगत रूप से परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के पते पर भेजी जा सकती है । परिषद के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को पता परिशिष्ट 3 में संलग्न है ।
- 12. कोलकाता शहर से बाहर (विहार, झारखण्ड, उडीसा, छत्तीसगढ, आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय, एवं पच्छिम बंगाल) स्थित सदस्यों से अनुरोध है कि वे बेवसाइट पर ऑनलाईन सदस्यता नदीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूप निष्पादित करने के उपरान्त बेबसाइट पर उपलब्ध नवीनीकरण फार्म पर विधिवत हस्ताक्षर कर एवं चालान की तीन प्रतियों पर भी हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर के साथ सदस्यता राशि के चैक या डिमांड ड्रफ्ट के साथ दुनरियर या डाक द्वारा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के पते पर भेज सकते हैं।

# रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council CIN: U99100MH1966GAP013486

**क्षेत्रीय कार्यालय** :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, बुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 o16. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org



#### ANNEXURE - 3

#### LIST OF COUNCIL'S REGIONAL OFFICES

#### Chennai

The Gem & Jewellery Export Promotion Council Ankur Plaza III Floor, 113 (Old No 52) G.N. Chetty Road, T. Nagar Chennai - 17.

Tel: 0091-44-2815 5180 Fax: 0091-44-2815 4526

Email: <a href="mailto:chennai@gjepcindia.com">chennai@gjepcindia.com</a>
Contact: Shri R. Surya
Narayanan, Asst. Director

#### Jaipur

The Gem & Jewellery Export Promotion Council Rajasthan Chamber Bhawan, 3rd Floor, Mirza Ismail Road, Jaipur - 302 003.

Tel: 0091-141-256 8029 / 257 4074

Fax: 0091-141-256 7921 / 257 4078

Email :jaipur@gjepcindia.com Contact : Shri Sanjay Singh, Regional Director

#### Surat

The Gem & Jewellery Export Promotion Council 401-A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring

Road, Surat - 395002

Tel: 0091-261-2209000 Fax: 0091-261-2209040 Email: surat@gjepcindia.com Centact: Ms. Jilpa Sheth, Asst.

Director

#### New Delhi

The Gem & Jewellery Export
Promotion Council
F 17-18, ! Tatted Factories
Complex, Jhandewalan, New
Delhi - 110 055.
Tel: 011 - 46266900,
46266920 to 926
Fax: 011 - 23675274
Email: delhi@gjepcindia.com

Email :dell<sub>1</sub>i@gjepcindia.com Contact: Shri Tarun Ray, Assistant Director

#### Kolkata

The Gem & Jewellery Export Promotion Council Vanijya Bhavan, 6th Flr, Left Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata: 700 016.

Tel: 0091-33-2282 3630 /

2282 3629

Fax: 0091-33-2282 3629 Email: kolkata@gjepcindia.com Contact: Shri Shantanu Rajguru, Regional Director

#### Mumbai

The Gem & Jewellery Export
Promotion Council
Office No. AW 1010, Tower A,
G Block,
Bharat Diamond Bourse, G
Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra - East, Mumbai 400051
Tel: 91 - 22 - 26544600,
Fax: 91 - 2:2 - 26524764
Email:
membersi ip@gjepcindia.com
Contact: Shri M. S. Pandey,

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council CIN: U99100MH1966GAP013486

Head Membership

क्षेत्रीय कार्यालय :ITFC बिल्डिंग, छठा तल, पूर्व भाग, 1/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016. (भारत)

Regional Office : ITFC Building, 6th Floor, East Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata - 700 016. (India) फोन/Tel. : 91-33-2282 3630 फैक्स/Fax : 91-33-2282 3629, ई-मेल/E-mail : kolkata@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालय : टॉवर-अे, अेडब्ल्यु-1010, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. (भारत)

Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India) फोन /Tel. 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax: 91-22-2652 4764, ई-मेल/E-mail: gjepc@vsnl.com /ho@gjepcindia.com वेबसाइट/Website: www.gjepc.org